2020/00166 न्यायालय सहायक कलक्टर बाली
31/20 भगवान सिंह बनाम राजसिंह

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 04/01/2022 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादी ने बहस हेतु अवसर चाहा याचिका में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पुनः दिनांक 11/01/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| | 11/01/2022 | पत्रावली पेश हुई। ~~उभय~~ उभय पक्ष हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई वास्ते ~~आदेश~~ आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 28/01/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) |
| | 28/01/2022 | पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। वादी ने दौराने बहस स्वीकार किया कि भूमि वाद प्रस्तुत [illegible] के कारण विवादित के आधार पर प्रार्थी पत्र अन्तर्गत धारा (3) [illegible] (1) का [illegible] बनता है। और [illegible] का [illegible] प्रार्थी के पक्ष में ही |

# फर्द अहकाम

2020/00061

न्यायालय सहायक कलेक्टर बस्ती

भगवान सिंह बनाम राम सिंह

मुकदमा संख्या /वर्ष : 31 /2020

| | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | अप्रार्थी संख्या 2 जो अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है अवैधानिक रूप से भूमी वादग्रस्त का हस्तान्तरण करना चाहती है इसके कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होने की सम्भावना है भूमी पैतृक होने तथा विरासत के आधार पर प्रार्थी घोषणा का अधिकारी होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।<br>अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि भूमी वादग्रस्त के पूर्व खातेदार स्व. श्री नारायण सिंह पुत्र फूल सिंह ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1972 को अंश भूमी अप्रार्थी संख्या 1 को हस्तान्तरित कर दी थी। जिसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने आदेश विक्रय हेतु भूमी वादग्रस्त | |

2020/00066

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से |
| --- | --- | --- |
| | | कि अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या (2) को हस्तान्तरित कर दी थी जो कि दिनांक तक मृतक [illegible] की तत्कालीन काबिज पत्नी हो रही थी. मृतक खातेदार श्री नारायणसिंह की मृत्यु अभी नहीं हो, वाद पत्र में वर्णित घटना दिनांक 22/06/2020 से [illegible] हुई है। पक्षों का हक एवं अधिकार स्पष्ट होने से नहीं बनने के कारण अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है न ही प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। उपरोक्त में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर हम पाते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 115 एवं 116 ग्राम [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रार्थना [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] |

2020/00066

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी

भगवान सिंह बनाम राम सिंह

मुकदमा संख्या /वर्ष : 31 /2020

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | यह भी रिकार्ड द्वारा स्पष्ट है कि विवादित भूमी रामसिंह पुत्र करण सिंह को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16/05/1972 से प्राप्त हुई है, जिसका बेचान स्व. नारायण सिंह पुत्र फूल सिंह द्वारा किया गया है. विवादित आराजित स्व. नारायण सिंह की पैतृक भूमी होने का कोई दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया है। ~~यदि~~ एकीकरण जमाबन्दी सम्वत 2018 के अनुसार ग्राम रामपुरा चण्डालिया में स्व. स्याम नारायण सिंह के नाम कुल 69(111)₂ बीघा भूमी दर्ज थी। जिसमे से बेचान की गई भूमि विवादित भूमी का रकबा कुल भूमी का लगभग 1/16 भाग है। यदि स्व. नारायण सिंह की सम्वत 2018 में दर्ज भूमी को पैतृक भी माना जावे तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मजरा खानदान के अनुसार | |

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | अपने हिस्से की भूमी को बेचान करने हेतु स्वतन्त्र थे ~~थे~~ अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे दृष्टिगत नही होता है।<br>विवादित भूमी ~~अ~~अप्रार्थी संख्या (1) के नाम सन 1972 से दर्ज रिकार्ड है जिसको अप्रार्थी संख्या (2) को ~~का~~ जरिये उपहार पत्र दिनांक 11.04.2019 को ~~अप्रार्थी~~ पंजीबद्ध किया गया है। चूंकि विवादित भूमी लगभग 50 वर्षों से अप्रार्थी संख्या (1) के नाम दर्ज चली आ रही है इससे ~~इस~~ उपहार पत्र 11.04.2019 द्वारा अप्रार्थीया (2) के हक मे पंजीबद्ध होने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति कारित होना प्रतीत नही होता है।<br>स्व. नारायणसिंह ने जितनी भूमी का बेचान किया है वह पैतृक भूमी ~~मान~~ मान लेने पर भी उनके हक हिस्से से अधिक नही है अतः सुविधा का-संतुलन भी अप्रार्थी (1) एवं (2) |

2020/00066

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी

भंवर सिंह बनाम रामसिंह

मुकदमा संख्या /वर्ष : 3 /2020

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | के पक्ष मे डिक्री देता हो<br>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।<br>फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसला शुमार होकर नकल से कम हो<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर ... जिला जयपुर | |